



# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

## ई-निविदा सूचना संख्या-27/2014

- निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 15-11-2014 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 17-11-2014 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 19-11-2014 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 21-11-2014 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रघन की राशि ₹ में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति की अवधि
<b>ई. निविदा से संबंधित कार्य :-</b>						
1.	पटना जिलान्तर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (अग्निशाम) बिहटा में मेस्ट हाउस का निर्माण कार्य (पुनरीक्षित)	60.67	121400	10000	1124	12 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत खगोल थाना में 6-लोअर सबोर्डिनेट आवास विद्युतिकरण सहित का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	60.49	121300	10000	1124	12 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत रेल पुलिस लाइन, चीना कोठी, पटना में संयुक्त भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	178.94	357900	10000	5618	12 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत ECO पार्क के बगल में A.T.S. भवन कैम्पस में अपराध निरोधक दरवा के स्थापना हेतु भवन का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)	61.23	122500	10000	1124	4 माह
5.	मोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना में 6-लोअर सबोर्डिनेट भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	71.98	144000	10000	5618	9 माह
6.	जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज थाना में 40 सिपाहियों के बेरक का निर्माण (अवशेष कार्य) (पुनर्निविदा)	27.85	55700	5000	1124	6 माह
7.	अरवल जिलान्तर्गत माणिकपुर ओपी0 में नकशाल थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	135.00	270000	10000	5618	10 माह
8.	अरवल जिलान्तर्गत कुर्था थाना में 40 सिपाहियों के बेरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (अवशेष कार्य) (पुनर्निविदा)	29.96	60000	5000	1124	6 माह
9.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिश नगर थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	45.91	91900	5000	1124	7 माह
10.	सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा थाना में ग्रेड-III थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	94.41	188900	10000	5618	9 माह
11.	मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारगंज थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	89.24	178500	10000	5618	9 माह
12.	रोहतास जिलान्तर्गत करगहर थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	53.49	107000	10000	1124	7 माह

- 25 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) / बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-15-11-2014 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुट्टियों या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
- शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतान दिनांक- 17-11-2014 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा।** प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाया नहीं जायेगा।
- अग्रघन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ** बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 19-11-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ईनिविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रघन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 21.11.2014 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित समवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निर्बंधित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निर्बंधन कराना आवश्यक होगा।
- परिमाण विपत्र केवल उन्हीं समवेदकों को (प्रतिनिधि को नहीं) निर्गत किया जाएगा जो निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों का अभिप्राणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे एवं उसकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- वाणिज्य कर निर्बंधन प्रमाण-पत्र, बिडकी कर शोधन/श्रमिक निर्बंधन अनुज्ञापित, निर्बंधन प्रमाण-पत्र एवं जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा देय चरित्र प्रमाण-पत्र। विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। विद्युतिकरण कार्य के संवेदक को पार्टनर/सब कांस्ट्रक्टर के रूप में रखकर निविदा में भाग लिया जा सकता है।
- परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रघन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।
- किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।
- जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंधित है (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लभित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।**
- प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रघन की राशि देय होगी। समुचित अग्रघन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रघन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

ह0/- मुख्य अभियंता, पटना।